


माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, स्वातित्र

156



B. 20/-

०/१६  
२५.११.१४

R - ५१५९ - III/१६

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक ----- / २०१४-१५

पुनरीक्षणकर्ता :-

राजेश कुमार लिंह उम्र ३८ साल तन्य स्वगीथ  
क्रीष्णो लिंह गहरवार निवासी ग्राम चुरहट,  
थाना एवं तहसील चुरहट, जिला सीधी म०प्र०

बनाम,

उत्तरवादी :-

- 1 - नगर बंचायत चुरहट द्वारा मुख्य नगरपालिका  
बधिकारी चुरहट, नगर परिषद् चुरहट तहसील  
चुरहट, जिला सीधी ₹५००प्र०
- 2 - मध्यप्रदेश शासन

श्री डॉ विठ्ठल सिंह . . . . .  
हारा आज क्रमांक. २५.११.१४ के  
प्रस्तुत किया गया।

रीडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक ३८५५

रजिस्टर्ड पोस्ट डायर आज  
दिनांक का प्राप्त  
कलक अफ कोर्ट पृष्ठ ५२१  
राजस्व मण्डल न प्र. ग्यालियर

पुनरीक्षण याचिका विरुद्ध वादेश श्री बनिल घरे  
बपर क्लैक्टर तीधी, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक -  
42/निगरानी/ 2009-10 दिनांक 21.10.2014  
पारित अन्तरगत धारा ५० मध्यप्रदेश भू राजस्व  
संहिता,

पुनरीक्षण अन्तरगत धारा ५० मध्यप्रदेश भू राजस्व  
संहिता १९५९

मान्यवर,

राजस्व मण्डल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्रो—R.4159—III / 14

जिला—सीधी

राजेश कुमार सिंह / नगर पंचायत चुरहट

(1)	(2)	(3)
17.05.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p>	

✓  
सदस्य